



पंजीयन क्र.-17195

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध)

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश

प्रान्तीय कार्यालय: 'प्रज्ञादीप' हर्षवर्धन नगर, भोपाल-462003

दूरभाष: (0755) 2761225, ई-मेल: vidyabhartibpl@gmail.com,

www.vidyabhartimp.org

पत्र क्रमांक : 32/2021

दिनांक-10/05/2021

प्रति,

श्रीमान व्यवस्थापक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य महोदय,
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर
मध्यभारत प्रान्त

बन्धुवर,

सादर नमस्कार।

जैसा कि आपको विदित ही है कि 01-04-2021 से 12-A और 80-G के नवीनीकरण (Renewal) का कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह काम 30-06-2021 तक पूर्ण करना है।

जिन समितियों के पास अभी तक 12-A और 80-G का पंजीकरण नहीं लिया है, उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना चाहिए। नए आवेदन को Provisional Registration मिलेगा और बाद में नियमित आवेदन करना होगा।

यह नवीनीकरण 5 वर्ष के लिए होगा।

इस सम्बन्ध में सी.ए. की सहायता लेना अपेक्षित है। एक प्रश्न कई स्थानों से आया है कि सी.ए. का शुल्क (Fee) कितना होना चाहिए। इस पर विचार किया गया है तथा 12-A व 80-G के Renewal and Provisional Registration के लिए 5000/- रु. + जी.एस.टी. शुल्क देना उचित रहेगा। कहीं कहीं केवल 12-A का नवीनीकरण होगा। ऐसे में भी शुल्क 5000/- रु. ही रखें और बाद में 80-G यदि आवश्यकता है तो उसको भी इसी शुल्क में करने का आग्रह करें। यह सुझाव है। आप स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय लें।

अतः निवेदन है कि प्रान्त स्तर पर सभी समितियां पंजीकृत हो जाये जिसकी सूचना विभाग समन्वयक के माध्यम से प्रान्त को शीघ्र प्रेषित करे, ऐसी अपेक्षा है।

संलग्न- कोषाध्यक्ष, वि.भा.अ.भा.शि.संस्थान दिल्ली का पत्र।

धन्यवाद।

भवदीय

(शिरोमणि दुबे)

प्रादेशिक सचिव



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान

VIDYA BHARATI AKHIL BHARATIYA SHIKSHA SANSTHAN

प्रज्ञा सदन, सरस्वती बाल मन्दिर परिसर, महात्मा गांधी मार्ग, नेहरू नगर, नई दिल्ली-110 065,
Pragya Sadan, G.L.T. Saraswati Bal Mandir Campus, Ring Road, Nehru Nagar, New Delhi-65

पत्र क्रमांक : वि.भा./014/2020-21

दिनांक : 22 अप्रैल, 2021

प्रति,

अ.भा. कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं सदस्यगण।

क्षेत्रीय मंत्री, संगठन मंत्री, सहसंगठन मंत्री, कार्यालय।

प्रान्तीय मंत्री, संगठन मंत्री, सहसंगठन मंत्री, कार्यालय।

आदरणीय बन्धुवर,

सादर नमस्कार।

जैसा कि आपको विदित है कि 12-A/80-G के नवीनीकरण (Renewal) की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इस हेतु से आप अपने क्षेत्र में किसी C.A. या AUDITOR से सम्पर्क करके तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ।

1. 12A एवं 80G के नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवश्यक फॉर्म न. 10-A ऑनलाइन जमा करना है।
2. 12A एवं 80G के लिए फॉर्म न. 10-A ही भरना है। परन्तु अलग-अलग भरना है। अर्थात् यदि दोनों का नवीनीकरण (Renewal) होना है तो फॉर्म दो बार भरना है।
3. फॉर्म न. 10-A को पाँच भागों में बांटा गया है –
 - I) पंजीकरण (Registration) से सम्बन्धित विवरण (क्र. 1 से 6)
 - II) अन्य पंजीकरण (Other Registration) से सम्बन्धित विवरण (क्र. 7 से 9)
 - III) सम्पत्तियाँ एवं देनदारियों (Assets & Liabilities) का विवरण (क्र. 10 से 19)
 - IV) आय से सम्बन्धित विवरण (Details of Income) (क्र. 20)
 - V) धार्मिक गतिविधियों (Religious Activities) का विवरण (क्र. 21)

फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जानकारी –

(i) पंजीकरण (Registration) से सम्बन्धित विवरण –

समिति का PAN डालते ही कुछ जानकारी स्वतः भरी हुई (Auto populated) आएगी।

सभी 6 बिन्दुओं की जानकारी इस प्रकार है –

1. PAN No.

2. a) Section Code में 12-A के नवीनीकरण के लिए 01 भरना है तथा

Provisional Registration के लिए 02 भरें।

(जो समितियाँ (Societies) अभी 12-A में पंजीकृत (Registered) नहीं हैं, उन्हें Provisional Registration मिलेगा।)

b) 80-G के नवीनीकरण के लिए 11 भरना है तथा नए 80-G के लिए 12 भरना है।

3. Nature of Activities में Charitable को tick करना है।

4. इसमें उपयुक्त item को tick करें। विद्या भारती में सामान्यतया Society पर tick करना है। कहीं-कहीं Trust भी हो सकता है।

4(a) इसमें YES पर tick करें।

4(b) Society के पंजीकरण की तिथि भरनी है।

4(c) Society का पंजीकरण क्रमांक भरना है।

4(d) पंजीकरण प्रमाण-पत्र (Registration Certificate) जारी (issue) करने वाले अधिकारी का पद (Designation) भरना है।

जैसे – Registrar of Firms & Societies.

5. Objects of the Applicant - हमें सामान्यतया Education को tick करना है। प्रान्तीय समितियों को Education के साथ Relief to Poor तथा Advancement of other objects of General Public Utility.

6. Whether the trust deed certain clause that the trust is irrevocable - इसमें 'YES' ही tick करना है। गलती से भी No नहीं करना है।

7. **Other Registration (अन्य पंजीकरण)** – इस भाग में समिति के जितने भी पंजीकरण (7-a to 7-k) हैं, उरका विवरण देना है।

सामान्यतया एक समिति का पंजीकरण इस प्रकार हो सकता है –

1. **FCRA.**
2. नीति आयोग के **DARPAN Portal** पर।
3. **12-A**
4. **80-G**
5. धारा **10(23c)** का पंजीकरण।
6. MCA की site पर **CSR** का पंजीकरण।

जितने पंजीकरण होंगे, सबका विवरण एक-एक करके भरना है।

- 8 (a) यदि पहले **12-A** या **80-G** का पंजीकरण अस्वीकृत हुआ है तो उसका विवरण दें।
- (b) यह जानकारी शोध संस्था के लिए है। इसलिये विद्या भारती को इसमें '**NO**' tick करना है।
- 9 (a) इसमें वर्तमान कार्यकारिणी का विवरण देना है –

Sr. No. -

Name -

Relation - इसमें **Trustee** या **Member of Governing Council** पर tick करना है।

Percentage - इसे खाली छोड़ना है।

Unique Identification No. - Aadhar No. या PAN No. में से कोई भी डालना है।

ID Code - PAN के लिये **01**, आधार के लिये **02**

Address - यह Auto populate होगा।

Mobile No. - यह Auto populate होगा।

E-mail address - आवश्यक नहीं है। यदि है तो दें दें।

9 (b) विद्या भारती के लिए नहीं है। इसलिए खाली (blank) छोड़ना है।

Assets & Liabilities की Details :

10. यदि आपने वित्त वर्ष 2019–20 की आयकर रिटर्न (**Incom Tax Return**) भरी है तो 'Yes' tick करें। ऐसी स्थिति में कॉलम क्र. (11 से 19) भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि वित्त वर्ष 2019–20 की आयकर रिटर्न नहीं भरी है तो कॉलम क्र. (11 से 19) के सभी आवश्यक विवरण भरना है।

Income Details - गत तीन वर्षों 2018–19, 2019–20, 2020–21 का विवरण भरना है।

धार्मिक गतिविधि विवरण (**Details of Religious Activities**) – इसमें 'No' tick करना है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि C.A. के पास जाने लिए निम्नलिखित प्रपत्र तैयार रखें –

1. समिति का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (**Registration Certificate**)
2. समिति की कार्यकारिणी की सूची तथा सभी सदस्यों का PAN No, Aadhar No.
3. गत वर्ष (Financial Year 2020-21) की आयकर रिटर्न की कॉपी।
4. गत तीन वर्ष (**Financial Year 2018-19, 2019-20, 2020-21**) का आय-व्यय (**Income & Expenditure**) विवरण।
5. अन्य पंजीकरण का विवरण जैसे –
 - a) **DARPAN** पर पंजीकरण का विवरण।
 - b) **12-A** एवं **80-G** के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी।
 - c) **10(23-c)** के पंजीकरण की कॉपी।

मैं इस सम्बन्ध में, आप जिन C.A. का सहयोग लेने वाले हैं, उनसे वर्चुअल (ZOOM या CONFERENCE) वार्ता की व्यवस्था करूंगा, जिसकी सूचना आपको शीघ्र भेजूंगा। आप ऐसे C.A. बन्धुओं को इसमें सम्मिलित करेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

कृपया यह पत्र सभी प्रधानाचार्यों, प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था अवश्य करें। ताकि समय पर ठीक से कार्य पूर्ण हो सके।

शेष शुभ।

आलोक : उपर्युक्त प्रपत्रों में से कुछ प्रपत्र (**Self Attested**) फॉर्म 12-A के साथ संलग्न करने हैं। अतः **Self Attested** प्रतियाँ C.A. के पास लेकर जाएं।

आपका

जैनपाल जैन

कोषाध्यक्ष, विद्या भारती अ.भा. शिक्षा संस्थान